राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या–144 / 2014
अन्तर्गत
अपील संख्या–2901 / 1999 एवं 2734 / 2003

रमेश चन्द राजवंशी

–प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री पी.एस. मेहरा, सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री उमेश धींगड़ा, मुख्य अभियंता, (ग्रामीण) जन स्वा. अभि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री सी.एम. चौहान, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग, वृत्त अजमेर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.08.2024

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 2901 / 1999 रमेश चन्द राजवंशी बनाम राजस्थान राज्य एवं 2734 / 2003 रमेश चन्द राजवंशी बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 25.06.2013 को पारित आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 25.06.2013 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :–

> *''दोनों अपीलों में विवाद का बिन्दु यह है कि क्या अपीलार्थी की बिना सहमति के टेलिफोन अटेन्डेन्ट कम कर्लक से कनिष्ठ लिपिक के पद पर केडेर परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं? दूसरा बिन्दु यह है कि अपीलार्थी को 15 वर्षीय चयनित वेतनमान में क्या अधिक भुगतान की गई राशि वसूली जा सकती है ?*
>
> *प्रथम बिन्दु पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि केडर परिवर्तन बिना अपीलार्थी की लिखित सहमति के किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अपीलार्थी चूँकि पूर्व में 01.04.1971 को ही स्थाई स्टेट्स प्राप्त कर लिया था अपने पूर्व कैडर में तो 25.01.92 के परिपत्र में भी यह अंकित है कि पूर्व में*

स्थाई सेवा किसी अन्य सेवा/केडर में यदि की गई है तो गणना लाभ मिलेगा। जहाँ तक अपीलार्थी की प्रार्थना वरिष्ठता निर्धारित करने की है। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने टिप्पणी की है पर चूँकि अपीलार्थी ने प्रार्थना ही नहीं की है किसी अनुतोष की, अतः यह बिन्दु गौण है। स्पीकिंग आदेश में 10 % पद ही लिपिक के लिए आरक्षित थे तथा अपीलार्थी इस सीमा रेखा के परे था इसलिए उस विचार नहीं किया गया। विभाग जब इस बात को स्वयं स्वीकार करता है कि कनिष्ठ लिपिक के केडर में सम्मिलित ही नहीं किया है तो लिपिक केडर में कैसे आ सकता है ? ऐसी स्थिति में यथा स्थिति रहती है और मूल कैडर में ही उसकी स्थिति का अंकन किया जा सकता है। इस दृष्टि से स्पीकिंग आदेश दिनांक 25.06.99 (प्रदर्श–8) त्रुटिपूर्ण व निरस्तनीय है। जब यह आदेश ही निरस्तनीय है तो आदेश दिनांक 18.02.99 (प्रदर्श–6) स्वतः ही निरस्तनीय हो जाता है। परिणामतः अपीलार्थी 01.04.1971 से नियमित कर्मचारी है। प्रदर्श–6 व प्रदर्श–8 निरस्त किए जाते है और अपील मंजूर की जाती है।''

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 25.06.2013 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः बिना उचित कारण के जानबूझ कर अधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 25.06.2013 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।

3. अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण की ओर से इस अवमानना याचिका में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि दोनों अपीलों में पारित निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

4. हमने उभय पक्षकारों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी–अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने पर यह प्रकट हुआ है कि अपील संख्या 2734/2003 के विरूद्ध एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8123/2024 एवं अपील संख्या 2901/1999 के विरूद्ध एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या

8121/2014 वर्तमान में लम्बित है। हम पाते है कि अधिकरण का आदेश पारित हुए करीब 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अधिकरण के आदेशों की पालना नहीं की गयी है। ऐसे में इस अधिकरण के आदेशों की अवमानना की जा रही है।

5. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2013 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :–

> *''दोनों अपीलों में विवाद का बिन्दु यह है कि क्या अपीलार्थी की बिना सहमति के टेलिफोन अटेन्डेन्ट कम कर्लक से कनिष्ठ लिपिक के पद पर केडेर परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं? दूसरा बिन्दु यह है कि अपीलार्थी को 15 वर्षीय चयनित वेतनमान में क्या अधिक भुगतान की गई राशि वसूली जा सकती है ?*
>
> *प्रथम बिन्दु पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि केडर परिवर्तन बिना अपीलार्थी की लिखित सहमति के किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अपीलार्थी चूँकि पूर्व में 01.04.1971 को ही स्थाई स्टेट्स प्राप्त कर लिया था अपने पूर्व कैडर में तो 25.01.92 के परिपत्र में भी यह अंकित है कि पूर्व में स्थाई सेवा किसी अन्य सेवा/केडर में यदि की गई है तो गणना लाभ मिलेगा। जहाँ तक अपीलार्थी की प्रार्थना वरिष्ठता निर्धारित करने की है। जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने टिप्पणी की है पर चूँकि अपीलार्थी ने प्रार्थना ही नहीं की है किसी अनुतोष की, अतः यह बिन्दु गौण है। स्पीकिंग आदेश में 10 % पद ही लिपिक के लिए आरक्षित थे तथा अपीलार्थी इस सीमा रेखा के परे था इसलिए उस विचार नहीं किया गया। विभाग जब इस बात को स्वयं स्वीकार करता है कि कनिष्ठ लिपिक के केडर में सम्मिलित ही नहीं किया है तो लिपिक केडर में कैसे आ सकता है ? ऐसी स्थिति में यथा स्थिति रहती है और मूल कैडर में ही उसकी स्थिति का अंकन किया जा सकता है। इस दृष्टि से स्पीकिंग आदेश दिनांक 25.06.99 (प्रदर्श–8) त्रुटिपूर्ण व निरस्तनीय है। जब यह आदेश ही निरस्तनीय है तो आदेश दिनांक 18.02.99 (प्रदर्श–6) स्वतः ही निरस्तनीय हो जाता है। परिणामतः अपीलार्थी 01.04.1971 से नियमित कर्मचारी है। प्रदर्श–6 व प्रदर्श–8 निरस्त किए जाते है और अपील मंजूर की जाती है।''*

6. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी–अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के **सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण**

बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :–

> *"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86)** में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :–

> *"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

8. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन **मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में** अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :–

> *"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

9. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 25.06.2013 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

10. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी–अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)